फर्द अहकाम

(नियम 2 6)

2018/000[illegible]

जज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- नसीराबाद

पुसा बनाम किशना

किस्म मुकदमा :- 131, 136 LRA प्रकरण संख्या :- 36 सन :- 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26.4.18	अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रा.पत्र प्रस्तुत किया प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। मिसल वास्ते इंतजारी तलबी दिनांक 1.5.18 को पेश हो। [illegible]	
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018	
1.5.18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान 2018 कैम्प ग्रा.प. कानपुरा में पेश हुई। वादी व प्रतिवादी क्र. 1 से 3 उपस्थित। अभिभाषक ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। प्रतिवादीगण की तस्दीक [illegible] ग्रा.प. कानपुरा ने की। राजीनामा शामिल मिसल किया गया। वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कानपुरा के वादी।। ख.न. 623 (2-0-10) हाल ख.नं. 1177 (0.18) 1179 (0.15) की आराजी [illegible] व वादी।। ख.नं. 624 (2-03-0) हाल ख.नं. 1178 (0.08), 1180 (0.27) की आराजी [illegible] है। उक्त आराजी का वादी।। [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible]

प्रसालाल

का किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में त्रुटिपूर्ण अंकन कर दिया है जिसे दुरुस्त किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया

ख.नं. 1177 व 1179 प्रार्थी की खातेदारी व ख.नं. 1178 व 1180 अप्रार्थी व । व 2 की खातेदारी के है। ख.नं. 1177 व 1179 हाल राजस्व मानचित्र में एक ही स्थान पर दर्ज होने चाहिए थे किन्तु हाल ख.नं. 1177 के स्थान पर 1178 दर्ज कर दिया व ख.नं. 1178 के स्थान पर ख.नं. 1177 दर्ज कर दिया गया है साथ ही ख.नं. 1180 विलोपित हो कर ख.नं. 1178 के ~~स्थान पर~~ नीचे दर्ज होना चाहिए था राज पेशकार ने भी अपने जवाब में दुरुस्ती की अभिशंषा की है अप्रार्थीगण ने राजीनामा पेश किया है अतः वर्तमान मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है।

उपरोक्तानुसार ग्राम कानपुरा के हाल ख.नं. 1177, 1178, 1179, 1180 पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद हाल राजस्व मानचित्र में अंकित त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को दुरुस्त करें। राजस्व मानचित्र में हाल ख.नं. 1178 के स्थान पर 1177 व 1177 के स्थान पर 1178 अंकित किया जावे। ख.नं. 1180 पूर्व स्थान से विलोपित कर नये स्थान पर दर्ज 1178 के नीचे की ओर अंकित किया जावे। ख.नं. 1180 विलोपित हो कर उसका ~~रकबा~~ योग ख.नं. 1179 के साथ दर्ज होगा जो कि राज पेशकार द्वारा प्रस्तुत जवाब के नजरी नक्शा में अंकित है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। पत्रावली जेर शुमार होकर नक्शा संशोधन हेतु दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत /कैम्प कोर्ट : कानपुरा